प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 12.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न हुई। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, प्रचलित अभियानों के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन कर पुलिस कर्मियों की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक सुना गया तथा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया।

आज दिनांक 12.06.2024 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में किया गया, सैनिक सम्मेलन में जनपद में नियुक्त पुलिस कर्मियों की समस्याओं से अवगत होकर प्राप्त हुयी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया कि पुलिस कर्मियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण विशेष वरीयता के आधार पर किया जाये। इसके साथ ही सभी को अपने-अपने थानों में नियमित सैनिक सम्मेलन किए जाने एवं पुलिस कर्मियों की समस्याओं से अवगत होकर उनका निराकरण कराये जाने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में घटित अपराधों के सम्बन्ध में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी के माध्यम से कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबधंन आदि के सम्बन्ध में समीक्षा की गई तथा विगत लोकसभा निर्वाचन को निर्वाद व सकुशल सम्पन्न कराने में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा की गयी तथा आवाहन किया गया कि नियमित पुलिसिंग के कार्यो यथा विवेचना, अपराध नियंत्रण, अभियोजन, जनसुनवाई, बीट पुलिसिंग प्रणाली, आपरेशन कन्विक्शन, आपरेशन त्रिनेत्र, मिशन शक्ति तथा शासन/मुख्यालय स्तर से चलाये जा रहे अभियानो पर और अधिक ध्यान दिया जाये एवं लम्बित छूटे मामलों को संज्ञान लेकर त्वरित निस्तारण कराया जाये, साथ ही साथ मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

- भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार जुलाई से लागू ह 01ोने वाली नयी भारती न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से निर्गत सभी कार्य योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
- नये माफियाओं तथा पेशेवर अपराधियों का चिन्हांकन कर उनके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में पंजीकृत गैंग के सभी सदस्यों के विरूद्ध सफल अभियोजन, सम्पत्ति जब्तीकरण व अन्य विधिक कार्यवाही की जायें।
- माफियों एवं संगठित अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- महिला एवं बच्चो से सम्बन्धी अपराधो को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। तथा मान्यायालय में प्रभारी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को कठोरत 0म सजा दिलायी जायें ।
- महिला सुरक्षा हेतु महिला बीटमहिला हेल्प डेस्क आदि के कार्यों की समीक्षा कर पुलिस बीट प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायें।/
- आगामी त्यौहारों धार्मिक आयोजनो के दृष्टिगत थाना स्तर पर पीस/कमेटी के सदस्यों धार्मिक गुरुओं), आयोजकों, सम्भ्रांत नागरिकों एवं डिजिटल वालेन्टियर्सके साथ गोष्ठी कर ली जायें। (
- आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत पुलिस प्रबन्ध की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जनपदीय पुलिस के सभी अधिकारीकर्मचारीगण / प्रत्येक स्थितिपर पैनी नजर रखते हुये निरंतर भ्रमणशील रहें, सभी प्रमुख स्थानों की प्रभावी चेकिंग कराते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये।

- जनपद में पुलिस विजविलिटी बनायें रखने तथा कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना को साकार करने हेतु नियमित रूप से पैदल गस्त की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- गम्भीर एवं जघन्य प्रवृत्ति के अपराधों यथा हत्या, लूट, डकैती आदि का अनावरण अति शीघ्र किया जायें तथा लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण कराया जायें, इस प्रकार के अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- आपरेशन दृष्टि के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानोंसंवेदनशील स्थानों आदि पर अधिक से अधिक सीसीटीवी /व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/तिराहों/चौराहों/ कैमरों का व्यवस्थापन किया जाये तथा पूर्व में व्यवस्थापित सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड किया जाये ।
- आपरेशन कन्विक्शन के तहत शासनमुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनु/सार प्रत्येक थाना गम्भीर प्रवृत्ति के अधिक से अधिक अभियोगों को चिन्हित कर मा 0न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अधिक से अधिक अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपदीय पुलिस मीडिया सेल को निर्देशित किया गया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसेव्हाट्सएप -, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि की घण्टे सतत मॉनिटरिंग की जाये। जनपद में सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले किसी भी भडकाऊ बया 24न, भ्रामक खबर, आपत्तिजनक तस्वीर, अफवाह, संदेश व अन्य सामग्री को प्रसारित करने वाले शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोरम कार्यवाही किएकराए जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये।/
- जनशिकायतों का नियमित अनुश्रवण व समयबद्ध निस्तारण के साथ ही)**IGRS**) के प्रकरणों की समीक्षा कर प्राप्त शिकायती सन्दर्भ का गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
- प्रभारी यातायात सहित समस्त थाना प्रभारियों को यातायात नियत्रंण हेतु प्रशासन व नगर निगम आदि से आपेक्षित सहयोग प्राप्त कर दुर्घटनाओं मे कमी लायी जाये। एनालाइजर, आईटीएमएस तथा तकनीकि उपकरणों की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

उत्कृष्ठ कार्य के लिये प्रशस्तिपत्र-

सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद महोबा में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं चुनाव सेल में सम्बद्ध अधि0/कर्म0 को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके द्वारा किये गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा की गई।

उक्त मासिक सैनिक सम्मेलन एवं अपराध गोष्ठी में श्री सत्यम (अपर पुलिस अधीक्षक), श्रीमती हर्षिता गंगवार(क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़), श्री रविकान्त गौड़ (क्षेत्राधिकारी चरखारी), श्री दीपक दुबे (क्षेत्राधिकारी नगर), श्री राजेश कुमार यादव (संयुक्त निदेशक अभियोजन), श्री कृष्णपाल सिंह(अभियोजन अधिकारी), प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, जनपदीय पुलिस के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित समस्त शाखाओं के अधिकारीगण सम्मिलित हुए।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 12.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 12.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ मुख्यमंत्री सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तत्काल थाना स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने

एक नफर वांछित अभियुक्ता को चोरी किये गये माल के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में मनीष कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राजेन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 आशीष मिश्रा व म0का0 चंचल सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 137/2024 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्ता रामकुमारी पत्नी तरमोहन कोरी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी राठ थाना कोतवाली राठ जिला हमीरपुर को मय चोरी किये गये एक जोडी पायल सफेद धातु व नगद 530/- रूपये के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

रामकुमारी पत्नी तरमोहन कोरी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी राठ थाना कोतवाली राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राजेन्द्र यादव
2. हे0का0 आशीष मिश्रा
3. म0का0 चंचल सिंह

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने
एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में मनीष कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी द्वारा गठित टीम के उ0नि0 कामता प्रसाद मिश्रा मय हमराह हे0का0 सरमान सिंह द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त दयाल पुत्र बाबूलाल निवासी बजनापुरा कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा को सम्बंधित मु0स0 21387/23 एनसीआर न0 68/23 धारा 323/504 भादवि में माननीय न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर बजनापुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दयाल पुत्र बाबूलाल निवासी बजनापुरा कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 कामता प्रसाद मिश्रा
2. हे0का0 सरमान सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 12.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ.नि. विनोद कुमार सिंह मय हमराह उ.नि. मतगंजन मिश्रा व मु.आ. देवीशरण द्वारा एक नफर अभियुक्त सुशांत यादव पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मुहल्ला सोहरियाँव कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को मय एक अदद नाजायज देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 139/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुशांत यादव पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मुहल्ला सोहरियाँव कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. विनोद कुमार सिंह
2. उ.नि. मतगंजन मिश्रा
3. मु.आ. देवीशरण

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 12.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 12.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

महोबा पुलिस

अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महोबा द्वारा मुख्यालय अवस्थित बैंक्वेट हाल का भ्रमण कर अग्निशमन सुरक्षा/विद्युत ऑडिट किया गया तथा अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग करने की विधि को बताया गया।

ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 12.06.2024 को जनपद महोबा में सीएफ़ओ महोबा, सहायक निदेशक विद्युत विभाग व प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी द्वारा मय अग्निशमन टीम के संयुक्त रुप से थाना कोतवाली नगर महोबा अवस्थित विभिन्न बैंक्वेट हालों का अग्निशमन सुरक्षा ऑडिट एवं विद्युत ऑडिट किया गया एवं वहाँ लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया वहाँ मौजूद स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं संबंधित को अग्निशमन व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को स्थापित किये जाने एवं उन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखने तथा पायी गई कमियों को जल्द पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।